

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

28-5-17 पञ्जावली पेश डई/ वकूलाय फरीदोन उपरिखत/ वकील
प्राची प्रार्थना पत्र 09 R7 जा० नी० का जवाब कायदा
पेश करने का आदेश है जवाब पेश करने हेतु वकील
प्राची को केंद्रिक रूपकर दिया जाता है वारन्ट प्रार्थना
पत्र 09 R7 जा० नी० के जवाब हेतु पञ्जावली दिनांक
30-5-12 को पेश हो हाजामी दिनांक तक जारी नक्यामी
निवेद्याया कवाई जाती है।

29-6-17 पञ्जावली केम्प... ऑडिल... को पेश हुई।
आगामी दिनांक... 31.10.17... को पेश हो।
एव का आदेश थापावत रखा।

31-11-17 पञ्जावली पेश डई/ वकूलाय फरीदोन उपरिखत/ वकील
प्रतिवादी क०/ उपरिखत नहीं। सिप्री क०/ व सिप्री क०/ हे
वकील को दिलनी ही अर्तका विधिगत आवाज दिलई जाके
के उपरोक्त भी उपरिखत नहीं होने के कारण सुवरण
कार्यवाही क्रिये जाके का आदेश दिया जाता है वारन्ट
सिप्री क० 293 के जवाब हेतु पञ्जावली दिनांक 28-11-17
को पेश हो। हाजामी दिनांक तक जारी नक्यामी निवेद्याया
कवाई जाती है।

28-11-17 पञ्जावली पेश डई/ वकूलाय फरीदोन उपरिखत/ वकील सिप्री
क० 293 जवाब कायदा देना चाहते हैं। केंद्रिक रूपकर दिया
जाता है। हाजामी दिनांक तक जारी नक्यामी निवेद्याया कवाई
जाती है वारन्ट सिप्री क० 293 के जवाब हेतु पञ्जावली
दिनांक 3-11-17 को पेश हो।

30-11-17 पञ्जावली पेश डई। वकील प्राचीण उपरिखत/ वकील
सिप्री क० 203 उपरिखत। वकील प्राचीण को दिलनी
ही अर्तका विधिगत आवाज दिलई जाके के उपरोक्त
भी काम 5-15 PM तक उपरिखत नहीं होने के कारण
प्राचीण का प्रार्थना पत्र नकन हाजरी नकन के रनी के
रवानीय क्रिया जाता है। पञ्जावली के काम सुमाउरी
जल्द कर लक काउ के काम को लावनी जाके।

रूपखण्ड अधिकारी
कम्पल